



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

**Office Order No. 28 of 2024**

**Sub.: Operationalization of Leave Module under HRMS.**

The newly introduced leave module in HRMS has been universally implemented on Indian Railways including the Railway Board w.e.f 01.08.2023 thereby discontinuing the Leave Module in REIS.

2. The new module is an automated version incorporating extant rules & leave balance and has done away with the practice of sanction/intervention of leave by ERB-I Branch w.r.t. Gazetted officers posted in Railway Board. The automated system allows sanction of leave by the Controlling Officers w.r.t all Gazetted officers posted under them. The sanction of leaves outside the purview of HRMS shall continue to be processed by ERB-I Branch.
3. The above issues with approval of the competent Authority.

No.2024/O&M/2/3  
Dated: 24.06.2024

(T.Srinivas)  
Joint Secretary/Railway Board  
Email id: [t.srinivas1@gov.in](mailto:t.srinivas1@gov.in)  
Tele No.: 011-47845551

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW and at Dayabasti,  
New Delhi.



भारत सरकार/Government of India  
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways  
रेलवे बोर्ड/Railway Board

2024 का कार्यालय आदेश सं. 28

**विषय: एचआरएमएस के अंतर्गत छुट्टी मॉड्यूल परिचालित करना ।**


दिनांक 01.08.2023 से एचआरएमएस में नए छुट्टी मॉड्यूल को रेलवे बोर्ड सहित भारतीय रेल में एकसाथ शुरू किया गया है, फलस्वरूप आरईआईएस में छुट्टी मॉड्यूल को बंद कर दिया गया है।

2. नया मॉड्यूल एक स्वचालित संस्करण है जिसमें प्रचलित नियमों तथा छुट्टी शेष को शामिल किया गया है तथा इसमें रेलवे बोर्ड में तैनात राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में ईआरबी-1 शाखा द्वारा छुट्टी को स्वीकृत/हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। इस स्वचालित प्रणाली में नियंत्रण अधिकारी द्वारा उनके अधीन तैनात सभी राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में छुट्टी स्वीकृत करने की अनुमति दी गई है। एचआरएमएस के कार्यक्षेत्र से बाहर छुट्टियों की स्वीकृति पर ईआरबी-1 शाखा द्वारा ही कार्रवाई की जाएगी।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं.2024/ओएंडएम/2/3

दिनांक : 24.06.2024

  
(टी.श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

ईमेल: [t.srinivas1@gov.in](mailto:t.srinivas1@gov.in)

दूरभाष: 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग तथा दयाबस्ती, नई दिल्ली स्थित सभी अधिकारी एवं शाखाएं।